मॉड्यूल 2: ज़िला बाल संरक्षण इकाई

सत्र 3: मुद्दे और चुनौतियां

अवधि: 14:42 मिनट

सत्र 3: मुद्दे और चुनौतियां

सत्र 3 में हम उन मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जानेंगे जिनका सामना ज़िला बाल संरक्षण इकाई को करना पड़ता है। अनेक मुद्दे और चुनौतियां हो सकते हैं जैसे:

- ज़िला बाल संरक्षण इकाई और इसके कार्यों में प्रशासनिक और क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों तथा कर्मियों की भूमिका और उत्तरदायित्व संबंधी मुद्दे और चुनौतियां
- बच्चों की प्रत्यक्ष खुशहाली से जुड़े मुद्दे तथा चुनौतियां
- समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों के साथ अभिसरण
- बच्चे के समग्र विकास के लिए परिवार को सशक्त बनाने के उपायों की कमी
- राज्य में विद्यमान संरचना तथा कार्यक्रमों की मुख्यधारा में समेकित बाल संरक्षण योजना को जोड़ने की आवश्यकता
- बच्चों के साथ सही बर्ताव करने के लिए संबंधित व्यक्तियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा संवेदीकरण पर प्रशिक्षण देना।
- सिंगल विंडो पद्धति (Single window approach) का प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देना
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों को कम करने के लिए निरोधक तंत्र पर्याप्त नहीं है
    - कार्यक्रमों में नवीनता/अभिनव प्रयोगों की कमी

इन सबसे बच्चों को देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के कार्यों में ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बाधा पहुंचती है। उन चुनौतियों को दूर करने के लिए रचनात्मक समाधानों की आवश्यकता है।

उपर दी गई गई चुनौतियों के कुछ संभावित समाधान निम्न प्रकार से हो सकते हैं–

- विभिन्न बाल संरक्षण संरचनाओं को एकजुट करना, उनका अभिमुखीकरण करना तथा उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व और वे एक साथ मिलकर कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में संवेदित करना।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा संरक्षण और देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता देने के लिए विभिन्न संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के साथ नेटवर्किंग और तालमेल बनाना।
- उत्तरदायी परवरिश पर ज़ोर देना और समुदाय के स्तर पर परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास करना।

क्या आप ऐसे कुछ और समाधान बता सकते हैं?

आईए अब कुछ ऐसे अच्छे अभ्यासों के बारे में जानें जो राज्यों ने किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन में, विद्यमान में उपलब्ध संसाधनों से ही अपनाया है। नीचे वर्णित केस स्टडी व्यापक रूप से मुद्दों और चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के लिए उठाए गए अभिनव कदमों को बताते हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **नागालैण्ड:** बच्चों के लिए आधार कैम्प
2. **मध्य प्रदेश:** बाल देखरेख संस्थानों को उत्क्रमित करना और बाल देखरेख गृहों में पहले रह चुके बच्चों को वित्तीय सहायता देना
3. **मिजोरम:** संबंधित विभागों/गैर सरकारी संगठनों के साथ अभिसरण और संपर्क
4. **ओडिशा:** संसाधन जुटाना एवं अभिसरण करना।
5. **मिज़ोरम:** विद्यालयों में बाल यौन दुर्व्यवहार का समाधान करना तथा नोडल शिक्षकों की नियुक्तियाँ तथा क्षमता विकास सुनिश्चित करना।

नागालैण्ड: बच्चों के लिए आधार कैम्प

चुनौतियां

- बाल देखरेख संस्थानों के अधिकांश बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है जिसके कारण वे कल्याणकारी कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं।
- पहचान होना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है।
- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (UNCRC) का अनुच्छेद 7 कहता है कि "सभी बच्चों को कानूनी पंजीकृत नाम रखने का अधिकार है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बच्चों को राष्ट्रीयता का अधिकार है।

भारत में: आधार कार्ड पहचान का एक प्रमाण है और विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।

अभिनव पहल:

- ज़िला प्रशासन दीमापुर के सहयोग से ज़िला बाल संरक्षण इकाई ने दीमापुर जिले के सभी बाल देखरेख संस्थानों के लिए एक आधार कैम्प का आयोजन किया।
- इस आधार कार्यक्रम में 300 बच्चे नामांकित हुए।

मध्य प्रदेश: बाल देखरेख संस्थानों को उत्क्रमित करना और बाल गृहों में पहले रह चुके बच्चों को वित्तीय सहायता देना

चुनौतियां

- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के मामले में, वे 18 वर्ष का होने तक ही बाल देखरेख संस्थानों में रह सकते हैं। इस उम्र के बाद राज्य यह अपेक्षा करता है कि वे स्वावलम्बी हो जाएं।
- इस स्वावलम्बन को विकसित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि संस्थानों में रहने वाले बच्चे स्वतंत्र हो जाएं और सामाजिक रूप से उनका एकीकरण हो जाए।

अभिनव पहल

- इस चुनौती का सामना करने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के प्रावधानों के अनुपूरक के रूप में मुख्य मंत्री बाल उद्धार योजना की शुरूआत की गई।
- बाल देखरेख संस्थानों को उत्क्रमित किया गया है ताकि वे देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के कौशलों को बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में मदद कर सकें।
- साथ ही बाल देखरेख संस्थानों को प्रति बच्चा 20,000 रू. की सहायता राशि दी जाती है, ताकि बच्चा स्व–रोजगार शुरू कर सके।

मिजोरमः संबंधित विभागों/गैर सरकारी संस्थाओं के साथ अभिसरण एवं तालमेल

चुनौतियां

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की खुशहाली के लिए अनेक प्रावधानों के बावजूद, संबंधित सेवा प्रदान करने वालों में जानकारी की कमी है।
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी, पुनर्वास सह स्थापन अधिकारी, विशेषीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण की स्टीयरिंग कमेटी तथा इसके साथ ही किशोर न्याय निधि का प्रावधान जो अन्य गतिविधियों के साथ–साथ जागरूकता फैलाने के लिए आरक्षित है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल संरक्षण के मुद्दे पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है।
- विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा जागरूकता से संबंधित उत्तरदायित्व को पूरा करना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अभिनव पहल

- मिज़ोरम की राज्य सरकार ने, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, स्टेट काउंसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के बीच सम्बन्ध तथा अभिसरण स्थापित किया।
- इसी प्रकार अन्य संस्थानों जैसे नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, ज़िला तम्बाकू नियंत्रण सोसाईटी आदि को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बच्चों से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के कर्मियों को व्याख्यान देने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया गया।
- इसके अन्तर्गत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (UNCRC), किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO), बाल श्रम, बाल विवाह आदि से संबंधित व्याख्यान तथा साहित्य शामिल है।

मिजोरम के विद्यालयों में नोडल शिक्षकों की नियुक्तियों के जरिये बाल लैंगिक दुर्व्यवहार का समाधान करना तथा नोडल शिक्षकों का क्षमता विकास करना।

चुनौतियां

- अनेक बच्चे, जिनके साथ दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है, वे कभी–कभी यह निर्णय नहीं कर पाते कि इसके बारे में शिकायत की जाए अथवा नहीं।
- यद्यपि कुछ मामलों में बच्चों के व्यवहारों में विशेष बदलावों को देखने में शिक्षक/शिक्षिका कामयाब हुए हैं, किन्तु उन्हें यह पता नहीं था कि ऐसी स्थिति में बच्चे की कैसे सहायता की जाए।
- ऐसे मामलों के समाधान का विरोध विद्यालय प्रशासन की तरफ से भी हो सकता है।

अभिनव पहल

- मिज़ोरम के कुछ ज़िलों की ज़िला बाल संरक्षण समितियों ने ज़िला शिक्षा अधिकारियों (जो कि ज़िला बाल संरक्षण समिति के सदस्य भी हैं) के समन्वय से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रत्येक स्कूल में नोडल शिक्षक नियुक्त किए।
- ज़िला स्तर पर शिक्षकों को चिन्हित किया गया और बच्चों से संबंधित विषयों जैसे–किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल मनोविज्ञान आदि पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया।
- नोडल शिक्षक की भूमिका निर्धारित की गयी है कि उन्हें ऐसे बच्चों की पहचान करनी है जिनके साथ दुर्व्यवहार या शोषण हो रहा है ताकि बच्चे के संरक्षण हेतु मामले की रिपोर्ट की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं।

नोडल शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जा रही है कि वे बच्चों पर इस बात का ध्यान रखें कि उनमें ऐसे कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं जो उत्पीड़न, शोषण या हिंसा का संकेत देते हों।

ओडिशाः संसाधन बढ़ाना और अभिसरण

चुनौतियां

- फण्ड प्राप्त करना
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों में अभिसरण की कमी।

अभिनव पहल

- उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए, राज्य में, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और ज़िला बाल संरक्षण इकाई ने एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित किया और अपने कार्यालय एक ही इमारत में स्थापित किए।
- उन्होने अपने सभी भौतिक संसाधनों (प्रतीक्षा कक्ष, बैठक का स्थान, गाडियां आदि) को एक साथ मिलाया ।

- बेहतर तालमेल और अभिसरण के परिणामस्वरूप बेहतर कार्य निष्पादन, संस्थागत समन्वय हुआ जिससे वित्तीय परेशानियों को दूर करने में मदद मिली।

ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों के समाधान हेतु प्रस्तावित तंत्र

यह पिरामिड चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक तंत्र दर्शाता है। इसके अन्तर्गत 'बच्चा' एक मूल इकाई है उसके बाद परिवार, समुदाय, संस्थाएं और नीतियां हैं।

दाहिने तरफ हर स्तर के हितधारक हैं और बांये तरफ चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य पद्धतियां हैं।

अब प्रत्येक हितधारक और उनके द्वारा पालन किए जाने वाली कार्य पद्धति को देखें।

नीति

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कानूनों के आधार पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/एनसीपीसीआर एवं अन्य मंत्रालयों द्वारा अनुश्रवण, पैरोकारी तथा समर्थक समूह को कार्यान्वित किया जाना।

संगठन

पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, टेलीकॉम, विधि, मीडिया, सरकारी संगठनों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु अभिसरण, साझेदारी तथा क्षमता–वर्द्धन की आवश्यकता है।

समुदाय

गैर सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और बाल कल्याण समितियों के साथ साझेदारी, सहयोग तथा संवेदीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

परिवार

माता–पिता/देखभालकर्ता का संवेदीकरण, जागरूकता और परामर्श अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बच्चा

बच्चों (कानून का उल्लंघन करने वाले या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों) को जागरूक करना और परामर्श देना बहुत जरूरी है।

इस विविध हितधारक कार्य पद्धति से विभिन्न चुनौतियां तथा मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।